फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अरूण माथ्युस जोर्जे स्कूल फॉर डेमोक्रेसी (लोकतंत्रशाला) बडी का बाडिया, थाणा, करेडा जिला भीलवाड़ा — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 24/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी—अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी—अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/381—382 दिनांक 21 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के भूमि अवाप्ति अनुभाग से संबंधित होने से भूमि अवाप्ति अनुभाग से पत्रांकः 113 दिनांक 21.01.2022 से सूचना चाही जाने पर प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांकः 80 दिनांक 25.01.2022 से सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवाते हुए उल्लेख किया कि प्रश्नगत सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने में कार्यालय के संसाधनों का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(9) के तहत साधारणतया सूचना उस रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें वह मांगी गयी है, जब तक कि वह किसी लोक प्राधिकारी के साधनों का अनुपातिक रूप से अपयोजन न करे या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या परीक्षण के लिये हानिकर न हो । प्रार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में प्रार्थी के हितो की वह सूचना जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता हो प्राप्त करने के लिये प्रार्थी हितबद्ध व्यक्तियों को साथ लाकर स्वंय इस कार्यालय में आगामी 07 दिवस में, किसी कार्य	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर अपीलार्थी हितबद्ध/हितबद्ध खसरा नंबरों के रिकार्ड का अवलोकन कर रिकार्ड के अनुरूप अपनी विशिष्टिया का उल्लेख कर अनुभाग इंचार्ज को बतावें ताकि तदनुसार प्रार्थी/हितबद्ध व्यक्ति स्वंय को सूचना उपलब्ध कराई जा सके। प्रार्थी के हितबद्ध की सूचना के तहत प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना अपीलार्थी द्वारा हितबद्ध/हितबद्ध खसरा नंबरों के रिकार्ड का अवलोकन कर रिकार्ड के अनुरूप अपनी विशिष्टयॉ का उल्लेख कर सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.अ.) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुभाग इंचार्ज को नहीं बताये जाने तथा प्रार्थी हितबद्ध की सूचना के तहत कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)